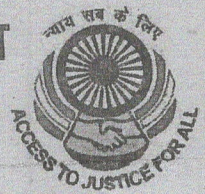


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा राष्ट्रीय लोक अदालत



दिनांक 09 मई 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय पायें।
न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढ़ायें

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

- माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सम्पूर्ण भारत वर्ष में तहसील से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर तक।
- राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 9 मई 2026 में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर।
- त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक

लोक अदालत के लाभ

- पक्षों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण।
- पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
- लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं।
- कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौता पर आधारित

राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने योग्य वाद/प्रकरण

राष्ट्रीय लोक

- सुलह योग्य फौजदारी वाद
- दीवानी वाद
- भरण पोषण वाद
- वैवाहिक/पारिवारिक वाद
- स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद
- चकबन्दी वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद
- श्रम वाद
- उपभोगता फोरम वाद
- भूमि अधिग्रहण वाद
- वांट माप (प्रचलन) अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- ई-चालान
- करधान प्रकरण
- ऋण वसूली अधिकरण मामले



सन्धि का आधार

- बैंक रिकवरी वाद
- किरायेदारी वाद
- चेक बाउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एन.आई.एक्ट
- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र सम्बन्धित मामले
- विजली बोरी से सम्बन्धित सगनीय दण्ड वाद एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम प्रकरण।
- नगर पालिका/नगर निगम सम्बन्धी जलकर/गृह कर मामले
- सेवा एवं सेवा निवृत्ति के परिलामो से सम्बन्धित मामले
- चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत मामले
- मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- विकास प्रधिकरण के अन्तर्गत चालान
- धारा 446 द.प्र.स. सम्बन्धी प्रकरण
- अन्तिम आख्या के मामले

- प्रकीर्ण/सिविल/वाणिज्यिक अपील धारा 256 सी.आर.पी.सी. के मामले
- अभिभावक सौदेबाजी (Plea Bargaining) हेतु दण्ड वाद
- प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जिसमें निष्पादन योग्य डिक्री पारित हो।
- स्थानीय विधियों के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद
- वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण
- पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत सगनीय वाद
- उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- रेलवे वादा सम्बन्धी प्रकरण
- मनरेगा प्रकरण
- स्थायी लोक अदालत के मामले
- अन्य उपयुक्त वाद/प्रकरण

किसी भी लम्बित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित फोरम/अधिकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जनपद न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।

अकिता सिंह-I

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गोण्डा

दानिश हसनैन

अपर जिला जज तृतीय/
नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत, गोण्डा

दुर्ग नारायण सिंह

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गोण्डा